झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–972 वर्ष 2017

सपन कुमार सेन, पे0 स्वर्गीय अमुल्य नाथ सेन, निवासी–ब्राकर हनुमान चारई, कुमार पारा, इंडियन ऑयल पम्प के नजदीक, डाकघर–ब्राकर, थाना–कुल्टी, जिला–बर्दवान, पश्चिम बंगाल। .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण अपने प्रबंध निदेशक के माध्यम से जिनका कार्यालय झामाडा भवन, डाकघर, थाना और जिला–धनबाद में है।

2. लेखा अधिकारी, झामाडा, झामाडा भवन, डाकघर, थाना और जिला–धनबाद।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री अजय कुमार सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– श्री भवेश कुमार, अधिवक्ता

02/06/03/2017 पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता, जो कानून विभाग, झामाडा भवन में कीटाणुनाशक के पद पर काम कर रहा था, प्रतिवादी–खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, धनबाद (संक्षेप में एम0ए0डी0ए0) की सेवाओं से 31.01.2017 को सेवानिवृत्त हुआ। याचिकाकर्ता की शिकायत है कि सेवानिवृत्ति के बाद भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, समूह बीमा, अंतरिम सहायता, चिकित्सा भत्ता, क्षेत्रीय भत्ता, महंगाई भत्ता, डी0ए0 का 50 प्रतिशत बकाया, क्षेत्रीय भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, छठे

वेतन पुनरीक्षण का बकाया और ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 आदि का लाभ का भुगतान उसे अभी तक नहीं किया गया है, हालांकि उसने एम0ए0डी0ए0 के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुलग्नक–3 दिनांक 09.02.2017 द्वारा अभ्यावेदन दिया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदनों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया गया, इसलिए याचिकाकर्ता ने अपने शिकायतों के निवारण के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

4. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी–एम0ए0डी0ए0 के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याची को सक्षम प्राधिकारी अर्थात् प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0 से संपर्क करने का निर्देश दिया जा सकता है, जो कानून के अनुसार याची की शिकायतों पर विचार कर सकता है।

5. ऐसी परिस्थितियों में, चूंकि मामला याचिकाकर्ता की सेवानिवृति के बाद की बकाया एवं अन्य सेवा लाभ से संबंधित है, रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादी–प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0, धनबाद के समक्ष सभी सहायक तथ्यों और दस्तावेजों के साथ तीन सप्ताह की अवधि के भीतर नए अभ्यावेदन देने की अनुमति देकर किया जाता है। ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति होने पर, प्रत्यर्थी–पबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0 कानून के अनुसार इसपर विचार करेगा और याची के अभिलेखों के उचित सत्यापन के बाद, उसके 12 सप्ताह की अवधि के भीतर एक युक्तियुक्त एवं सकारण आदेश पारित करेगा, जिसे याची को भी सूचित किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता की शिकायतें वास्तविक पाई जाती हैं और वह सेवानिवृत्ति के बाद की बकाया और अन्य संवा लाभों को कानूनी रूप से पाने का हकदार है,

तो प्रतिवादी–एम0ए0डी0ए0 द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार वैधानिक ब्याज के साथ इसका संवितरण भी किया जाएगा, जो एम0ए0डी0ए0 के सेवानिवृत्ति कर्मचारियों पर लागू है।

6. तदनुसार, यह रिट याचिका उपरोक्त शर्तों में निपटाई जाती है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)